



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 82/2025

दायर तारीख 11.12.2025

अनवान्

1. मीरा पत्नि राजेन्द्र जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीया

बनाम

1. कलावती देवी पत्नि बाबुलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी शिवलाईन्स खण्ड गावड़ी कोटा (राज0)
2. चुन्नी पुत्री किशना जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भूरी पुत्री किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. माधु पुत्र किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. रूपलाल पुत्र किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. लाला पुत्र किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा - अधिवक्ता वादीया।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक :- 12/03/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 11.02.2026 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि **ग्राम मोगरवासा पटवार हल्का कास्यां** तहसील बिजौलियां स्थित नया खाता संख्या 76 पर अंकित आराजी संख्या 163 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, आराजी संख्या 164 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, आराजी संख्या 172 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, आराजी संख्या 173 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, आराजी संख्या 175 रकबा 0.0486 हेक्टेयर, आराजी संख्या 176 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, आराजी संख्या 177 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 178 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी संख्या 179 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, आराजी संख्या 180 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 224 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी संख्या 225 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, आराजी संख्या 226 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी संख्या 227 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 228 रकबा 1.1736 हैक्टेयर कुल किता 15 रकबा 2.9947 हैक्टेयर भूमि में वादीया का निहीत 33/40 हिस्सा हैं। वादीया का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया।

3
उप खण्ड अधिकारी लगातार पेज संख्या 02 पर
 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा



तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2026/306 दिनांक 06.03.2026 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीया को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	कलावती देवी पत्नि बाबुलाल 2/7 मीणा सा. कोटा खातेदार, चुन्नी पुत्री किशना 1/7 मीणा, भूरी पुत्री किशना 1/7, माधु पुत्र किशना 1/7, रूपलाल पुत्र किशना 1/7, लाला पुत्र किशना 1/7 भील सा.देह खातेदार	मोगरवासा	163	0.0902
			164	0.0592
			177	0.0162
			179	0.0181
			180	0.0162
			176/1	0.3328
	योग		खसरा 06	0.5227
02	सामलाती	मोगरवासा	178	0.0081
			योग	खसरा 01
03	मीरा पत्नि राजेन्द्र मीणा सा. कास्या	मोगरवासा	163/1	0.0150
			164/1	0.0136
			172	0.3804
			173	0.3076
			175	0.0486
			176	0.1771
			224	0.0890
			225	0.1538
			226	0.0890
			227	0.0162
228	1.1736			
	योग		खसरा 11	2.4639

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक

12/03/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 82/2025

दायर तारीख 11.12.2025

अनवान्

1. मीरा पत्नि राजेन्द्र जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. कलावती देवी पत्नि बाबुलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी शिवलाईन्स खण्ड गावड़ी कोटा (राज0)
2. चुन्नी पुत्री किशना जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भूरी पुत्री किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. माधु पुत्र किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. रूपलाल पुत्र किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. लाला पुत्र किशना जाति भील उम्र वयस्क निवासी मोगरवासा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... मदनयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 12/03/2026

डिक्री दिनांक : 12/03/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीया श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं प्रतिवादीगण एकपक्षीय को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम मोगरवासा पटवार हल्का कास्यां के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	कलावती देवी पत्नि बाबुलाल 2/7 मीणा सा. कोटा खातेदार, चुन्नी पुत्री किशना 1/7 मीणा, भूरी पुत्री किशना 1/7, माधु पुत्र किशना 1/7, रूपलाल पुत्र किशना 1/7, लाला पुत्र किशना 1/7 भील सा.देह खातेदार	मोगरवासा	163 164 177 179 180 176/1	0.0902 0.0592 0.0162 0.0181 0.0162 0.3328
	योग			
02	सामलाती	मोगरवासा	खसरा 06 178	0.5227 0.0081
	योग			
03	मीरा पत्नि राजेन्द्र मीणा सा. कास्या	मोगरवासा	खसरा 01 163/1 164/1 172 173 175 176 224 225 226 227 228	0.0081 0.0150 0.0136 0.3804 0.3076 0.0486 0.1771 0.0890 0.1538 0.0890 0.0162 1.1736
	योग		खसरा 11	2.4639

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत्

Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूल याबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2026 को
जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादीया द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक
12/03/2026 को मुर्तिब की गई।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

क्र.	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-	-	स्टाम्प अरजी दया	-	-
स्टाम्प वकीलात नामा	-	-	स्टाम्प वकीलात नामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
मेहनताना वकील ()	-	-	मेहनताना वकील ()	-	-
खर्चा गवाह	-	-	खर्चा गवाह	-	-
फीस कमीशनर	-	-	फीस कमीशनर	-	-
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	-	बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	-
मुनफरिक	-	-	मुनफरिक	-	-
मीजान	-	-	मीजान	-	-



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ